

**न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

प्रार्थना पत्र सं. <b>160/10</b>	धारा अंतर्गत 53,88,89,91,188 RTA	ग्राम निपानिया	तहसील छबड़ा
वादी <b>86/17</b>	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सुरजकला	बनाम	तुलसीराम वगैरा	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
23-9-10	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,91,188 आर.टी.ए विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.10.2010 को पेश हो।	2159-61 24-9-10
20-10-10	पत्रावली पेश हुई, वकील करी उम्मा। जरिवाही के. 4 रा 6 की रखवी हेड रखवाना पेश करे। पत्रावली काटे रखवी दिनांक 20-11-10 को पेश हो।	
30-11-10	आज पी... पर होने के... दिनांक 11-1-11	
12-1-11	पत्रावली पेश हुई। वक़ुलाद करीके उम्मा। जरिवाही के. 4 रा 6 की रखवी हेड रखवाना पेश करे। पत्रावली काटे रखवी दिनांक 22-2-11 को पेश हो।	
22-2-11	पत्रावली पेश हुई। वक़ुलाद करीके उम्मा। जरिवाही के. 4, 6 की रखवी हेड रखवाना पेश करे। पत्रावली काटे रखवी दिनांक 29-3-11 को पेश हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

जनमान : सुरज कला V/S तुलसीराम

मु.नं. 86/017

पालक  
माके/का./अप  
उप  
द्वय

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

पृष्ठ/प

पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्षकारों -  
 कठुलार परीकेन उपस्थित। वकील वही द्वारा  
 023 Rule 1 द्वारा 151 CPC पेश किया है जिसमें  
 बताया कि नर्सिंग और प्रतिवादी गण के विरुद्ध  
 वास्तविक शर्तों का है। अब पक्षकारों के मध्य  
 कोई विवाद शेष नहीं रहा है। इस कारण वादगी  
 अब अपने वाद पत्र को पलौना नहीं लाएगी है।  
 पक्षकारों उपस्थित। जिनके हस्तक्षेप कराये गये।  
 शर्तों का पट्टा सुनाया। किसी के द्वारा कोई अति  
 पेश नहीं की गई। प्रमाण में प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत  
 पत्र 023 Rule 1 द्वारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है  
 प्रमाण में भाग नहीं। इसी स्तर पर हॉर की जाती है।  
 पत्रावली पेशल सुनार होकर दायित्व दफ्तर है।

सुरज कला

शर्तों का

मैत्र

उपसुण्ड अधिकारी  
छबडा, जिला बारा (राज)